अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

06 01.07.23	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 49 / 2022–23 राज्य बनाम मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता स्व० खादिम अंसारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची (झारखण्ड) ....विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 490 / डी०सी०बी० दिनांक 09.05.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता स्व० खादिम असारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित है :– 1. कोतवाली थाना काण्ड सं०–06 / 21, दिनांक– 05.01.2021, धारा–302 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट 2. कोतवाली थाना काण्ड सं०–07 / 21, दिनांक– 05.01.2021, धारा–25(1–बी०) 26 / 35 आर्म्स एक्ट 3. कोतवाली थाना सन्हा सं०–34 / 23, दिनांक–04.03.2023 4. कोतवाली थाना सन्हा सं०–24 / 23 दिनांक– 05.03.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–976 / उपा० दिनांक 30.04.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	स्व० खादिम असारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची एक सक्रिय असमाजिक अपराधकर्मी है, जो वर्तमान में जेल से बाहर है। विपक्षी का पेशा रंगदारी करना है। इनके द्वारा अवैध हथियार के बल पर रंगदारी मांगने से स्थानीय लोग डरे सहमे रहते है और कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कुछ कहना नही चाहते है। इनके गतिविधियों के सत्यापन के दौरान पता चला कि इनके द्वारा कोतवाली एवं आसपास के दुकानदारों, ठेकेदारों, व्यवसायियों को धमकी दी जा रही है। इनके द्वारा जमीन कारोबारियों को भी अवैध वसूली हेतु धमकी दी जा रही है। इनकी अपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच भय एवं दहशत का माहौल है. जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया। विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार – विपक्षी को झुठे मामले मे फंसाया गया है। विपक्षी झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के दायरे मे नही आते है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज कोतवाली थाना काण्ड सं०–06/21, दिनांक– 05.01.2021 एवं कोतवाली थाना काण्ड सं०–07/21, दिनांक– 05.01.2021 एक ही घटना से संबंधित है, जिसमे विपक्षी को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है। विपक्षी के खिलाफ झुठे आरोप के तहत्त सन्हा दर्ज किया गया है। विपक्षी दिहाडी मजदुरी कर अपना, अपने माँ एवं भाई का भरण पोषण करते है। पुलिस रिपोर्ट मे शान्ति भंग होने की कोई वास्तविक आशंका नही जाहिर किया गया है। विपक्षी के खिलाफ रंगदारी माँगने या धमकी देने संबंधी कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नही किया गया है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है, जिनका पेशा अवैध हथियार के बल पर रंगदारी मांगना है। वे एक शातिर आदतन असमाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रियं अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा सिर्फ अपने बचाव मे दिया गया है, जो संतोषप्रद नही है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता स्व० खादिम असारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता स्व० खादिम असारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची को दिनांक 08.07.23 से दिनांक 07.10.23 तक की अवधि के लिए कोतवाली थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, कोतवाली थाना रॉची के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 07.07.23 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 08.07.23 से दिनांक 07.10.23 तक प्रत्येक दिन कोतवाली थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता स्व० खादिम असारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मो० मोबिन उर्फ छोटका पिता स्व० खादिम असारी, निवासी अब्दुल करीम लेन, पुरानी राँची, थाना कोतवाली जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 17:16:57 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d